

**कार्यालय - मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर।**

क्रमांक - 06

दिनांक - 26-02-2024


**-: कार्यालय आदेश :-**

मैं, मांडवी राजवी, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर एतद्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक-Gen-/XIX/Misc./ 2000/911/718, Dated 01-06-2001 की पालना में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 19(2) व 410(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित तिथि को **माह मार्च, 2024 में** आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य अपने न्यायालय में **(कार्यालय समय 11:00 ए.एम. से 01.30 पी.एम. तक)** करने के लिए एवं उस रोज यदि कोई मृत्युकालिक कथन, धारा 52-क के तहत इन्वेन्ट्री हो, तो उस संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करती हूँ - **माह मार्च, 2024 हेतु -**

क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय	मोबाइल नं.
01.	03-03-2024	श्रीमती मीनाक्षी नाथ	महानगर मजिस्ट्रेट सं. 08, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9166371369
02.	08-03-2024	श्री अजय सिंगारिया	महानगर मजिस्ट्रेट सं. 06, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9724009046
03.	09-03-2024			
04.	10-03-2024			
05.	17-03-2024	श्रीमती स्वाति चौधरी	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) सं. 08, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	8386800148
06.	23-03-2024	श्री प्रमोद	महानगर मजिस्ट्रेट सं. 05, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9549990077
07.	24-03-2024	श्रीमती उर्मि व्यास	महानगर मजिस्ट्रेट सं. 07, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9829601656
08.	25-03-2024			
09.	29-03-2024	श्री प्रमोद	महानगर मजिस्ट्रेट सं. 05, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9549990077
10.	31-03-2024	श्री सुनील गोस्वामी	महानगर मजिस्ट्रेट सं. 02, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	8118817203

नोट - उक्त कार्य के अलावा अन्य आवश्यक कार्य हेतु निम्न अधिकारी मुख्यालय पर रहेंगे -

क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय	मोबाइल नं.
01.	03-03-2024	श्रीमती ज्योत्सना मीना	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), जोधपुर महानगर, जोधपुर।	8290595500
02.	08-03-2024	श्री रमेश कुमार	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सं. 01, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9413534780
03.	09-03-2024			
04.	10-03-2024			
05.	17-03-2024	श्रीमती रेखा रानी	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सं. 06, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9521111457
06.	23-03-2024	शाइस्ता लोधी	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सं. 08, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9529155244
07.	24-03-2024			
08.	25-03-2024			
09.	29-03-2024	डॉ० पवन कुमार विश्वाई	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, (सी.बी.आई. प्रकरण), जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9413372233
10.	31-03-2024	श्रीमती प्रतिभा मोट्यार	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, (किराया अधिकरण), जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9680032564

  
**मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,  
जोधपुर महानगर, जोधपुर।**

रिमाण्ड प्राधिकृत किये जाने के दौरान रिमाण्ड में अभिवृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार दण्डिक कार्य रिमाण्ड आदि के लिए प्राधिकृत किए गए महानगर मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि को प्राधिकृत करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उक्त न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुल्जिम को पेश किया जाना है। जमानत प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करते समय जमानत आदेश में यह आवश्यक रूप से अलग से पैराग्राफ बनाकर लिखा जावे कि वह किस न्यायालय से संबंधित है तथा किस पुलिस थाने से संबंधित है।

नोट - (ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरंभ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

(बी) अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। निर्धारित समय में अवकाश न्यायालय के समक्ष न्यायालय में पेश न करने एवं निवास पर मुल्जिम को पेश करने पर थानाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही जावेगी। विशेष परिस्थितियों में मुल्जिम को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

(सी) उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है, तो उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जाएगी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संबंधित पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

-sd-

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,  
जोधपुर महानगर, (जोधपुर)  
दिनांक - 26/2/2024

क्रमांक - 10

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
2. स्थापना शाखा, जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
3. श्रीमान् पुलिस उपायुक्त, पूर्व, जोधपुर महानगर को अपने अधीनस्थ समस्त पुलिस थानों को सूचित करने हेतु।
4. श्रीमान् पुलिस उपायुक्त, पश्चिम, जोधपुर महानगर को अपने अधीनस्थ समस्त पुलिस थानों को सूचित करने हेतु।
5. अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय, अभिभाषक संघ, जोधपुर महानगर।
6. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, जोधपुर महानगर को लेख है कि उक्त राजकीय अवकाश के दिवस को संबंधित न्यायालय में एपीपी की ड्यूटी लगाने की आवश्यक रूप से व्यवस्था करावे।
7. ड्यूटी ऑफिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, जोधपुर शहर।
8. ऑफिसर इंचार्ज कंट्रोल एवं कमांड (पुलिस विभाग) सूचना केन्द्र के पास, जोधपुर को पुलिस वेबसाइट पर अपलोड करने व समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
9. नोटिस बोर्ड (ज्यूडिशियल सर्विस सेंटर, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर)।
- ✓ 10. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर महानगर को वास्ते ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा, जोधपुर महानगर।
12. अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सं. - 1, 6, 8, सी.बी.आई., पी.सी.पी.एन.डी.टी. एकट प्रकरण तथा किराया अधिकरण, जोधपुर महानगर।
13. महानगर मजिस्ट्रेट सं. - 2, 5, 6, 7, 8 व एन.आई. एकट सं. 8 जोधपुर महानगर।
14. कार्यालय प्रति।

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,  
जोधपुर महानगर, जोधपुर।